(327) (203)

पीठासीन अधिकारी, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प
न्यायालय श्रीमान् ~~कलेक्टर~~ महोदय, रीवा जिला रीवा म0प्र0

गोविन्द दास तनय लोकनाथ गुप्ता निवासी ग्राम अमहा बासुदेव हनुमना तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. ------------ आवेदक

R-1704-II/12

बनाम

1- मु0 लालमती बेवा छोटेलाल खटिक निवासी अमहा बासुदेव हनुमना तह. हनुमना जिला रीवा म.प्र. -

2- म0प्र0 राज्य ------------------------------- अनावेदकगण

अधिवक्ता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दिनांक 23.5.2012
23.5.12

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. रा0प्र0क0 18 अ-12/ 2011- 2012 आदेश दिनांक 28-3-12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. रा.सं. 1959ई.

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है :-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यह कि सीमांकन कीकार्यवाही मे सीमांकन आदेश को प्रमाणित करने के पहले तहसीलदार को चाहिए कि रा. नि. या पटवारी द्वारा विधि एवं प्रक्रिया के तहत सीमांकन कियाहै अथवा नही , यदि धारा 129 म.प्र. भू. रा.सं. में बने नियमो का पालन नही कियागया है तो सीमांकन कार्यवाही को निरस्त करके विधिअनुसार सीमांकन करने केबाद प्रीतवेदन प्रस्तुत होने पर ही उसे प्रमाणित करना चाहिए क्योकि अधीनस्थ न्यायालय अर्द्धन्यायिक न्यायालय है, तथा सीमांकन कार्यवाही का गुण दोष के आधार पर आकलन करने के बाद ही सीमांकन कार्यवाही को प्रमाणित करना चाहिए ऐसा नही कि प्रीतवेदन चाहे जैसा हो

क्रमशः 2

(203)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R/1704-II/12 जिला रीवा

गोविन्द दास विरूद्ध मु0 लालमती

1	2	3
16-1-19-	1. आवेदक की ओर से श्री शारदा प्रसाद मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह ~~नायब~~ तहसीलदार तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 18/97-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 28.03.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 26.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	